

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०१७

अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

किशोर चन्द शुक्ल

2. वर्तमान धारित पद

उपरी शिक्षक

3. वर्तमान वेतन

9300-34900

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

1-7-018

श्रीमती

उप संभाग, तालुका पद का नाम, जिसमें धारित स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ग्यारी		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** धरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ग्यारी	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
① 3 प्लॉट	3, वरेखर	40x60 एक एकड़	1.5 करोड़	पिताजी के नाम पर	पिताजी उरा उफर	एक प्लॉट	25% भाकिड
② 3 प्लॉट	228, पुराना आलीजी	12x50	20 लाख	एक प्लॉट के नाम पर	पिताजी उरा उफर	36000/-	(पिताजी की संपत्ति)
③ गाम धाउर बेडी	पंचायत	1 बीघा कुछ	10 लाख	पत्नी के नाम पर	पिताजी उरा उफर	8000/-	(शुद्ध उपभोग)
④ 3 प्लॉट	सहायक	शुद्ध	10 लाख	पत्नी के नाम पर	पत्नी के नाम पर धन शौचकी सम्पत्ति है	-	-

यदि सत्य न हो काट दीजिए।

यदि नामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

यदि अल्पकालीन पट्टे भी सम्पत्ति है।

टिप्पणी: अध्यादेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परवाना यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उनमें वह उनके स्वामित्व को तथा उनके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ग्यारी दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

किशोर चन्द शुक्ल

उपरी शिक्षक

98275-79534